दिनांक–16.07.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध तथा विधि विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध तथा विधि विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत् हैः–

निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा को निदेश दिया गया कि जिला उत्पाद कार्यालय सारण का कार्यालय भवन, बैरक, हाजत, मालखाना एवं 10 बैडेड महिल बैरक के निर्माण कार्य के प्रथम संवेदक का एकरारनामा Rescind होने के पश्चात्, द्वितीय संवेदक के कार्य का विस्तृत डाटा PMIS में अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा

- मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा को निदेश दिया गया कि जिला उत्पाद कार्यालय, दरभंगा में महिला बैरक के लिए स्थल उपलब्ध न होने की स्थिति में द्वितीय तल पर महिला बैरक का निर्माण कार्य कराया जा सकता है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि द्वितीय तल पर महिला बैरक का निर्माण करना संभव नहीं है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई।

अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा

- सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से पृच्छा की गई कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अवर निबंधक पारू के आवासीय भवन के निर्माण कार्य में काफी विलंब हुआ है। इस संबंध में संवेदक पर क्या कार्रवाई की गई है ? इसकी समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। VC के दौरान तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (समप्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर) की खोज की गई, लेकिन वे अनुपस्थित थे। मुख्य अभियंता (उत्तर) को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–मुख्य अभियंता (उत्तर)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

विधि विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर (औरंगाबाद) परिसर में 20 पी0ओ0 आवास (जी0+5) के निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन फर्नीचर का दर अधिक होने के कारण मुख्यालय द्वारा वापस कर दिया गया है। अतः निदेश दिया गया कि दरों में संशोधन कर पुनरीक्षित प्राक्कलन मुख्यालय को शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

- अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत मधेपुरा के पुराने न्यायालय परिसर में कर्मचारियों हेतु डी0 टाईप (जी0+3) के निर्माण में काफी विलम्ब हुआ है। इस संबंध में संवेदक को कालीकृत करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा

- विधि विभाग से संबंधित विभिन्न जिलों में कोर्ट भवनों एवं अन्य कार्यालयों में Fire Fighting कार्य कराकर यत्रों का अधिष्ठापन किया गया है। इन यत्रों का Annual Maintance किया जाना अति आवश्यक है। ताकि कोई घटना होने पर ससमय उपयोग हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि विधि विभाग Fire Fighting कार्य का रख–रखाव के लिए Maintance Policy बनाये तथा उसके अनुसार इसका रख–रखाव किया जाय।

अनुपालनः–विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/–

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– ____________ दिनांक– ____________

प्रतिलिपिः–सचिव, विधि विभाग/सचिव, मद्य निषेद्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6923 (अ) दिनांक– 24/7/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को भेजने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव